Ex.P-63

S-42

कथन – विकास साहू

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	विकास साहू पिता श्री केशव साहू
उम्र	–	24 वर्ष
पता	–	रावण भाठा, वार्ड नं. 07 गरियाबंद (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	97521–03377
व्यवसाय	–	सह–संचालक, मां कर्मा ट्रेडर्स पैरी कालोनी, गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ0ग0)

––00––

मैं विकास साहू पूछें जाने पर बता रहा हूं कि मैं श्री मां कर्मा ट्रेडर्स पैरी कालोनी, गरियाबंद का सह–संचालक हूं। मेरे भाई विवेक साहू द्वारा इस राईस मिल को राजीव सुन्दरानी से वर्ष 2013 से 03 लाख रूपये वार्षिक दर से लीज पर लेकर चला रहा हूं। इस राईस मिल की क्षमता 04 टन धान प्रति घंटे की है। मेरा मार्कफेड से वर्ष 2014–15 में 80 हजार क्विंटल धान का अनुबंध है, पिछले वर्ष 2013–14 में 60 हजार क्विंटल धान के कस्टम मिलिंग का अनुबंध था। गरियाबंद में क्वालिटी इंस्पेक्टर एस.के. तिवारी है तथा गरियाबंद में जिला प्रबंधक श्री मोतीलाल साहू है। गरियाबंद में नान के शासकीय एवं निजी सहित 04 गोदाम है। गरियाबंद में 06 राईस मिल है। चावल का अनलोडिंग और स्टेकिंग के लिये हमालों को 2500रू. प्रति लॉट उनके ग्रुप के मुख्यिा को भुगतान करते है। वर्ष 2013–14 में मेरे द्वारा 160 लॉट चावल जमा किया गया था एवं 05–06 लॉट चावल रिजेक्ट हुआ था। इस वर्ष 2014–15 में मेरा 40 लॉट चावल जमा कियां हूं तथा 01 लॉट चावल अमानक स्तर के होने की वजह बताकर रिजेक्ट कर दिया है। गरियाबंद में स्पेश की समस्या है, इसी स्पेश की समस्या का फायदा उठाते हुए नान के क्वालिटी इंस्पेक्टर एवं जिला प्रबंधक द्वारा स्पेश बनाने, सुविधा देने के नाम पर प्रति क्विंटल 08रू. के हिसाब से मिलरो से मांग करते है और उक्त राशि न देने पर स्पेश के नाम पर परेशान किया जाता है। मानक स्तर के चावल को भी अमानक बता कर रिजेक्टर कर देते है। मजबूरीवश मिलरों को उक्त कलेक्शन का रकम देना पड़ता है। यहीं मेरा कथन है।

दिनांक 07.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ